

## बैचलर ऑफ जर्नलिज़्म (हिंदी पत्रकारिता)

प्रथम सेमेस्टर, प्रश्नपत्र- 3

BJH C-103

हिन्दी पत्रकारिता एवं प्रेस विधि

(जुलाई, 2023 से लागू)

पूर्णांक-100 ( लिखित परीक्षा-70 अंक सत्रीय मूल्यांकन-30 अंक)

उत्तीर्णांक- 40%

क्रेडिट- 5

अधिगम परिणाम:-

- संवैधानिक अधिकार और मीडिया का अनुशीलन करेंगे.
- प्रेस एवं पुस्तकीय अधिनियमों की समझ बढ़ेगी.
- मीडिया और विधि के अंतर सम्बन्धों को समझ सकेंगे.
- हिंदी पत्रकारिता और प्रेस विधि के औचित्य को समझ सकेंगे.
- संवैधानिक अधिकार और मीडिया अनुप्रयोग का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे.

### यूनिट-1

भारतीय संविधान- मूल अधिकार वं कर्तव्य, प्रेस की स्वतंत्रता, भारत में प्रेस स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बन्ध मानहानि , प्रेस परिषद अधिनियम, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, अदालत की अवमानना.

### यूनिट-2

प्रेस एवं पुस्तक पंजीयक अधिनियम 1867 , प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम , द्वितीय प्रेस आयोग: गठन , उद्देश्य एवं संस्तुतियां .

### यूनिट-3

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, बालश्रम और पर्यावरण सम्बन्धित कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005, आरटीआई एक्ट का पत्रकारिता में अनुप्रयोग .सूचना कानून आईटी.एक्ट,साइबर अपराध,संचार माध्यमों में महिलाओं संबधी अधिनियम 1986.

### यूनिट-4

डिजिटल पत्रकारिता के विकास का संक्षिप्त परिचय और विधिक चुनौतियां, प्रसार भारती अधिनियम, जी0 पार्थसारथी समिति. मानवाधिकार जागरूकता.

### यूनिट-5

पत्रकारीय लेखन की आचार संहिता : अश्लीलता निषेध , पीत पत्रकारिता एवं सनसनीखेज लेखन , शुद्धता, निष्पक्षता, स्त्री गरिमा, लैंगिक समानता, आत्महत्या संबंधित समाचार , पत्रकारिता का सामाजिक दायित्व बोध,मीडिया ट्रायल:औचित्य प्रभाव,हानि-लाभ.

### संदर्भ ग्रन्थ -

प्रेस विधि-नन्द किशोर त्रिखा

प्रेस कानून और पत्रकारिता- प्रो0 संजीव भानावत

भारतीय शासन एवं राजनीति-डा0 पुखराज जैन

जनमाध्यम-कानून एवं उत्तरदायित्व: श्रीकान्त सिंह, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

आरटीआई से पत्रकारिता,श्यामलाल यादव, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली

प्रेस विधि और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य- डॉ. हरबंश दीक्षित, वाणी प्रकाशन,नई दिल्ली

पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा- आलोक मेहता, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली